32629 - वह हज्ज और व्यापार करने के लिए यात्रा करता है

प्रश्न

क्या मेरे लिए हज्ज के लिए यात्रा करना और मक्का से कुछ सामान खरीदना और उन्हें अपने देश में लाकर बेचना जायज़ है ताकि मैं उनसे लाभ कमा सकूँ?

विस्तृत उत्तर

हज्ज के मौसम के दौरान व्यापार करना जायज़ है। अल्लामा तबरी ने अपनी तफ़सीर में अपनी सनद के साथ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अल्लाह तआला के फरमान :

﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾

“तुमपर कोई दोष नहीं कि अपने पालनहार का अनुग्रह (फ़ज़्ल) तलाश करो।” (सूरतुल बक़रा : 198) के बारे में उल्लेख किया है कि उन्होंने कहा : एहराम में प्रवेश करने से पहले और उसके बाद खरीदने और बेचने में तुमपर कोई गुनाह नहीं है।”

और अल्लाह ही सामर्थ्य प्रदान करने वाला है।